

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक-एफ 3/लेखा/17-18/11279-99

दिनांक : 8/01/2018

अल्पकालीन ऑनलाईन निविदा सूचना संख्या : 56/17-18

नगर विकास न्यास, कोटा की ओर से न्यास में पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों एवं किसी भी राजकीय/अर्द्धराजकीय/स्वायत्त शासी विभागों के अंतर्गत 'ए' तथा 'ए' क्लास (विद्युत कार्यों के लिए ई-1 श्रेणी) संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेंट प्रक्रिया से कुल 01 कार्यों हेतु ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

उक्त कार्यों का विस्तृत विवरण, निविदा शर्तें, अनुमानित लागत, निविदा बचाने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट <https://eproc.rajasthan.gov.in>, <https://sppp.rajasthan.gov.in>, <https://urban.rajasthan.gov.in> एवं नगर विकास न्यास, कोटा की वेबसाईट <https://www.uikota.org> पर देखा जा सकता है।

निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

Part	निविदा की क्र०सं०	ऑनलाईन निविदा विक्रय/अपलोड/डाउनलोड/प्राप्ति तिथि	ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि
A	1	10-01-18 प्रातः 9.30 से 22-01-18 सायं 6.00 बजे तक	23-01-18 को सायं 4.00 बजे

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	स्तर
PART-"A"					
1.	शहीद हेतु कालानी कंट्रील कमाण्ड सेंटर के पास स्थित साजीवहडा वाले की पुलिया के दोनो विकास एवं सौन्दर्यकरण कार्य	95.60	3500.00	06 माह	प्रथम

नोट:-

- निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।
- समस्त कार्यों के लिए धरोहर राशि कार्य की अनुमानित लागत पर न्यास में पंजीकृत सक्षम संवेदक द्वारा 1/2% राशि एवं अन्य विभागों में पंजीकृत सक्षम संवेदक द्वारा 2% राशि जमा करानी होगी।
- तकनीकी विड हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेज ही संलग्न करें। अनावश्यक दस्तावेज संलग्न न करें।
- ऑनलाईन निविदा हेतु धरोहर राशि व निविदा शुल्क का जमा डीपॉजिट 'सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा' के नाम से ऑन लाईन निविदा कार्यालय/अपलोड एवं अपलोड करने की अंतिम तिथि तक का ही स्वीकार्य होगा। अंतिम तिथि के बाद का डीपॉजिट ग्राह्य नहीं होगा। धरोहर राशि, निविदा शुल्क, प्रोत्साहन शुल्क एवं Online Bid submission confirmation form निविदा शुल्क की तिथि दोपहर 1.00 बजे तक न्यास में प्रस्तुत करने होंगे।
- ऑनलाईन निविदा के लिए प्रोसेसिंग शुल्क ₹50 500.00 लाख से कम की निविदा पर ₹50 500/- एवं ₹50 500.00 लाख या उससे अधिक की निविदा की स्थिति में ₹50 1000/- का डीपॉजिट MD, RISL, Jaipur के नाम देय होगा।
- उक्त निविदा न्यास की वेबसाईट www.uikota.org पर भी देखी जा सकती है।
- प्रथम तीन न्यूनतम दरदाता संवेदकों की धरोहर राशि को रोकर हुए शेष सभी संवेदकों को धरोहर राशि काट दिवस के अंदर लौटाई जावेगी तथा द्वितीय व तृतीय न्यूनतम दरदाता संवेदकों की धरोहर राशि कार्यादेश प्राप्त होने के 10 दिवस पर्यंत या निविदा केना डिभि परचाय (दोनों में से जो भी पहले हो) लौटाई जावेगी।
- राजस्थान नवन एवं अन्य संविधान कर्मकांड नियम-2009 के सम्बन्ध में जारी कनिष्ठता दिनांक 30.04.09 के अनुसार न्यास द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के रनिंग/अंतिम बिलों के भुगतान पर 1% रुम चार्ज (L. Cess) भी देय होगा।
- धरोहर राशि के रूप में ₹50 10.00 लाख तक डीपॉजिट/बैंकर्स चेक स्वीकार किये जावेंगे। धरोहर राशि ₹50 10.00 लाख से अधिक होने पर राशि ₹50 10.00 लाख का डीपॉजिट/बैंकर्स चेक व शेष राशि बैंक गारन्टी (कोटा मुख्यालय पर देय हो) के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है।
- निविदा में प्रस्तुत दर प्रचलित बीएसआर, जिस पर निविदा अग्राहित है, से 10 प्रतिशत से अधिक कम (Below) आने पर 10 प्रतिशत राशि को छोड़ते हुए शेष राशि की बैंक गारन्टी/डीपॉजिट विभाग में कार्यादेश जारी करने से पूर्व जमा करनी होगी। जो वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि से 28 दिन बाद कार्य संतोषजनक होने पर लौटाई जावेगी।
- निविदा में भाग लेने वाले सभी संवेदकों/फर्मों को सूचित किया जाता है, कि यह निविदा में सम्मिलित होने से पूर्व, यह सुनिश्चित कर लें कि वे निविदा के अनुरूप उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत है या नहीं। उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत नहीं जाये जाने की स्थिति में निविदा निरस्त करने/निविदा निरस्त करते हुए जमा राशि जब्त करने का प्रावधान नगर विकास न्यास, कोटा में निहित रहेगा।
- उपरोक्त निविदाओं को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को रहेगा।

अधिशारी अनियता,

नगर विकास न्यास, कोटा

दिनांक : /01/2018

क्रमांक-एफ 3/लेखा/17-18/

जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार प्रतिलिपि निम्न को मेजरकर लेख है कि न्यास द्वारा उक्त कार्य कराये जा रहे हैं। यदि इन कार्यों से आपके विभाग की सम्पत्ति/संवर्धन प्रभावित होने की संभावना हो तो 15 दिवस की अवधि में अवगत कराने का कष्ट करें, अन्यथा यह माना जावेगा कि आपके विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, कोटा।
- अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहरी) कोटा, अध्यक्ष, विकास समन्धी समन्वय समिति, कोटा।
- उप आयुक्त आवृत्त, आवासन मण्डल, कोटा।
- अधीक्षण अभियन्ता, जन सेवा अभिा विभाग, जे.बी.बी.एन.एन.एल/जल ससाधन, सी.एच.डी.ई., सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा।
- उप महायन्त्रधक, भारत संधार निगम लि. कोटा।

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्री ओम दिग्गल, माननीय सांसद महोदय कोटा-पूर्वी लोकसभा क्षेत्र
- माननीय विधायक महोदय, कोटा दक्षिण/माननीय विधायक महोदय लाजपुरा/माननीय विधायक महोदय कोटा उत्तर/माननीय विधायक महोदय रामगजमण्डी, कोटा।
- महानगर महोदय, नगर निगम, कोटा।
- अध्यक्ष महोदय/ सचिव महोदय, नगर विकास न्यास, कोटा।